19/1.20

संख्याः 191 /XXVI/तीन(01)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/विभागाध्यक्ष
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं आपके पत्र संख्या–795/3–ले0/बजट/2017–18, दिनांक 06.07.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कियान्वयन अधिष्ठान के अधीन संलग्न विवरणानुसार **₹ 5773 हजार (₹ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या–610, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

iii. मानक मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' तथा मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किश्त को प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जायेगा।

iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवशय प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

vii. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

viii. उक्त व्यय संलग्नक में अंकित तालिकानुसार लेखानुदान वर्ष 2017–18 के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454 के सुसंगत उपलेखाशीर्षकों के अधीन डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/ 2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

पृ0सं0– 191 / XXVI/तीन(01)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः 191 /XXVI/तीन(01)/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संलग्नक।

राजस्व व्यय

(धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
	मतदेय	भारित
अनुदान सं0–07 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान		
01–वेतन	2190	
02–मजदूरी	40	
03–मंहगाई भत्ता	131	
04–यात्रा व्यय	67	
05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	33	
06–अन्य भत्ता	205	
07–मानदेय	7	
08–कार्यालय व्यय	133	
09–विद्युत देय	40	
10–जलकर/जल प्रभार	20	
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	53	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67	
13–टेलीफोन व्यय	100	
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	187	
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1800	
17–किराया, उपशुल्क पर व्यय	233	
18–प्रकाशन	67	
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	33	
26–मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33	
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67	
42–अन्य व्यय	20	
45–अवकाश यात्रा व्यय	47	
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्वेयर का क्रय	33	
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	67	
(₹ सत्तावन लाख तिहत्तर हजार मात्र)	**5773**	

(जी0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 191/XXVI/Three(01)/2017 | **अलोटमेंट आई डी - S1708070008**

अनुदान संख्या - 007 | **आवंटन पत्र दिनांक** -01-Aug-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

1: लेखा शीर्षक 3454 - जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान

00 - बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2190000	2190000	4380000
02 - मजदूरी	20000	40000	60000
03 - महंगाई भत्ता	132000	131000	263000
04 - यात्रा व्यय	33000	67000	100000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17000	33000	50000
06 - अन्य भत्ते	102000	205000	307000
07 - मानदेय	3000	7000	10000
08 - कार्यालय व्यय	67000	133000	200000
09 - विद्युत देय	20000	40000	60000
10 - जलकर / जल प्रभार	10000	20000	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	27000	53000	80000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33000	67000	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	50000	100000	150000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	93000	187000	280000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	900000	1800000	2700000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	117000	233000	350000
18 - प्रकाशन	33000	67000	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	50000	100000	150000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	17000	33000	50000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	17000	33000	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33000	67000	100000
42 - अन्य व्यय	10000	20000	30000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	23000	47000	70000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	17000	33000	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	33000	67000	100000
	4047000	**5773000**	**9820000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5773000